मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 189/2024

हरनेकसिंह पुत्र मंगलसिंह, जाति जटसिख, साकिन वार्ड न. 12, चक 35 एसटीजी रामपुरा (रंगमहल), तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह, जाति जटसिख, साकिन वार्ड न. 12, चक 35 एसटीजी रामपुरा (रंगमहल), तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

2. छिन्द्रपालसिंह पुत्र मंगलसिंह, जाति जटसिख, साकिन वार्ड न. 12, चक 35 एसटीजी रामपुरा (रंगमहल), तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

3. मनप्रीतकौर पत्नी कालासिंह पुत्री मंगलसिंह, जाति जटसिख, साकिन वार्ड न. 12, चक 35 एसटीजी रामपुरा (रंगमहल), तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

4. जसविन्द्र कौर पत्नी सुखवंतसिंह पुत्री मंगलसिंह, जाति जटसिख, साकिन वार्ड न. 12, चक 35 एसटीजी रामपुरा (रंगमहल), तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 25/02/2025

वादी की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री नरेश खटोड़ अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

क. वादी/प्रथम पक्ष हरनेकसिंह को प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 35 एसटीजी, के खाता स. 20/22 के प.न. 2/346 (40) के किला न. 22/2, 23, 24, 25/1, 25/2 व इसी चक के प.न. 2/347 (47) के किला न. 1 ता 4, 9,10 की कुल 2.0490 हैक. नाली द्वितीय मय गैरमुमकिन खाला में से 1/2 हिस्सा यानि 1.0245 हैक. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.51225 हैक. नाली द्वितीय मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

ख. प्रतिवादी स.2 / द्वितीय पक्ष छिन्द्रपालसिंह को प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 35 एसटीजी, के खाता स. 20/22 के प.न. 2/346 (40) के किला न. 22/2, 23, 24, 25/1, 25/2 व इसी चक के प.न. 2/347 (47) के किला न. 1 ता 4, 9,10 की कुल 2.0490 हैक. नाली द्वितीय मय गैरमुमकिन खाला में से 1/2 हिस्सा यानि 1.0245 हैक. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.51225 हैक. नाली द्वितीय मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested